न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम 11, जयपुर महानगर प्रथम,
मुख्यालय सांगानेर

पीठासीन अधिकारी : पुरवा चतुर्वेदी, आर0जे0एस0
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

जमानत प्रार्थना पत्र सं0 : 286/2026

सीआईएस नं0 : 519/2026

कालू राम सांसी पुत्र श्री रायसिंह सांसी, उम्र 28 साल, निवासी सांसी बस्ती, नासिरदा, पुलिस थाना नासिरदा, जिला टोंक हाल निवासी झुग्गी झोपड़ी, महिमा पनोरमा जगतपुरा पुलिस थाना रामनगरिया, जयपुर पूर्व।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक .....अप्रार्थी

प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–483 बी0एन0एस0एस0
एफआईआर सं0 281/2026 पुलिस थाना रामनगरिया, जयपुर पूर्व
अपराध अं0 धारा 19/54 राज0 आबकारी अधिनियम

उपस्थितिः–

1. श्री प्रमोद कुमार जैन, श्री शंकर लाल शर्मा अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी/अभियुक्त।
2. श्री संजय शर्मा अपर लोक अभियोजक, अप्रार्थी सरकार।

:: आदेश :: **दिनांक : 18.06.2026**

1. इस आदेश के द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 बी0एन0एस0एस0 का निस्तारण किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र की नकल विद्वान अपर लोक अभियोजक को दिलवाई गई, केस डायरी तलब की गई।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 07.06.2026 को श्री रमेश कुमार, एसआई, पुलिस थाना रामनगरिया, जयपुर पूर्व ने वापिसी थाना पर दर्ज करवाया गया कि ''दिनांक 07.06.2026 को समय 08.50 ए0एम0 के लगभग महिमा पनोरमा चौराहा नजदीक झुग्गी झोपड़ी सडक पर मुखबिर की सूचना मिलने पर प्रार्थी/अभियुक्त के कब्जे व आधिपत्य से एक प्लास्टिक के कट्टे में 54 प्लास्टिक पव्वे घूमर देशी शराब के पाये गये, जिन्हें रखने व परिवहन करने बाबत शक्स ने अपने पास कोई वैध लाइसेन्स नहीं होना बताया.....इत्यादि। उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 281/2026 पुलिस थाना रामनगरिया, जयपुर पूर्व में अंतर्गत धारा 19/54 राज0 आबकारी अधिनियम में दर्ज की गई तथा अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। प्रार्थी की जमानत का प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 480 बी0एन0एस0एस0 विद्वान अधीनस्थ न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम–17, सांगानेर मुख्यालय, जयपुर महानगर प्रथम द्वारा दिनांक 08.06.2026 को खारिज किया गया है, जिससे व्यथित होकर प्रार्थी की ओर से हस्तगत जमानत प्रार्थनापत्र पेश किया गया है।

3. जमानत प्रार्थनापत्र पर उभय पक्षों को सुना गया।

4. अभियुक्त/प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों की पुनरावृति करते हुए कथन किया है कि प्रार्थी प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रार्थी को मामले में झूंठा फंसाया गया है। प्रार्थी का आरोपित अपराध से कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। प्रार्थी से किसी प्रकार की कोई बरामदगी किया जाना शेष नहीं है। प्रार्थी के जेल

में रहने से उसके नैतिक जीवन पर गलत प्रभाव पड़ने का अंदेशा है। प्रार्थी के भागने या फरार होने का अंदेशा नहीं है। प्रकरण की अन्वीक्षा में समय लगेगा। प्रार्थी/अभियुक्त जमानत मुचलके पेश करने को तैयार है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर आजाद किया जावे।

5. विद्वान अपर लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थनापत्र का घोर विरोध किया एवं अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने का कथन किया।

6. उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया गया। अनुसंधान पत्रावली मय तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध अब तक के अनुसंधान से अनुसंधान अधिकारी ने अपराध अंतर्गत धारा 19/54 राज0 आबकारी अधिनियम का अपराध प्रमाणित माना गया है। अनुसंधान पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अभियुक्त के कब्जे से 54 पव्वे देशी घूमर शराब के बरामद हुए है। प्रार्थी/अभियुक्त गिरफ्तार किये जाने की दिनांक 07.06.2026 से अभिरक्षा में निरूद्ध है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध समान प्रकृति के 07 प्रकरण एवं 01 अन्य प्रकरण पूर्व से लम्बित होना बताया गया है। साथ ही अभियुक्त के विरूद्ध प्रमाणित माना गया अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अतः ऐसी स्थिति में गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

7. परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त कालू राम सांसी पुत्र श्री राय सिंह द्वारा प्रस्तुत जमानत का यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–483 बी0एन0एस0एस0 एतद्द्वारा स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये की दो जमानतें एवं 50,000/–रूपये की राशि का मुचलका अपराध की पुनरावृति नहीं करने, प्रत्येक तारीख पेशी पर उपस्थित होते रहने की शर्त के साथ विद्वान अधीनस्थ न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम–17, सांगानेर मुख्यालय, जयपुर महानगर प्रथम की संतोषप्रद पेश कर तस्दीक करा दे तो अभियुक्त को इस प्रकरण में आजाद कर दिया जावे।

(पुरवा चतुर्वेदी)
अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम 11,
जयपुर महानगर प्रथम
मुख्यालय सांगानेर

8. आदेश आज दिनांक 18.06.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(पुरवा चतुर्वेदी)
अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम 11,
जयपुर महानगर प्रथम
मुख्यालय सांगानेर